



पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ
प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 15 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22-11-2022

दिनांक 21/22-11-2022 को रात्रि थाना आशियाना 01, थाना बिजनौर 01, थाना महानगर 08, थाना पीजीआई 01, थाना सआदतगंज 04 एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना बीकेटी 01, थाना सैरपुर 01, थाना हसनगंज 01, थाना कैसरबाग 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 15 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना माल—दिनांक 21.11.2022 को एस0आई0 पारसनाथ सिंह यादव थाना माल द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01—मनीष पुत्र रामजीवन रावत निवासी—अटवा मजरा थरी थाना माल लखनऊ को सहिजना निवारी रोड पुलिया, थाना माल से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक के पिपिया में 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना माल पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना माल—दिनांक 21.11.2022 को एस0आई0 श्री गोपाल थाना माल द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01—लक्ष्मीशंकर पुत्र स्व0 मैकू निवासी देवरी भारत थाना माल जनपद लखनऊ 02—राजकिशोर पुत्र रामशंकर निवासी रनीपारा थाना माल जनपद लखनऊ को देवरी भारत मोड़ से ग्राम देवरी भारत की तरफ थाना माल से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से प्लास्टिक के पिपिया में क्रमशः 15-15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना माल पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना नगराम—दिनांक 21.11.2022 को एस0आई0 श्री विवेक कुमार थाना नगराम द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त—01 महेश प्रसाद पुत्र पुत्र शम्भू निवासी ग्राम सिरौना लखनऊ को मुकुन्दखेड़ा मोड़ ग्राम सिरौना थाना नगराम से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना गोसाईगंज—दिनांक 21.11.2022 को एस0आई0 श्री ललित कुमार थाना गोसाईगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01—लक्ष्मीनारायण पुत्र भाईलाल निवासी—जौखण्डी थाना गोसाईगंज लखनऊ को जौखण्डी बाजार पुलिया से पहले थाना गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना बन्थरा—दिनांक 22.11.2022 को थाना बन्थरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री दिलीप राजपूत पुत्र स्व0 झग्गड़ प्रसाद निवासी—रानीगंज थाना नाका हिन्डोला जनपद लखनऊ ने थाना बन्थरा पर सूचना दिया कि दिनांक 21.11.2022 को वादी के रिश्तेदार अनिल राजपूत पुत्र स्व0 मुन्ना राजपूत निवासी—बिरहना चौराहा पांडेयगंज गल्ला मंडी सुभाष मार्ग लखनऊ जो किराये की टैपो चलाते हैं, समय करीब 12.00 बजे दोपहर को अपने टैपो को लेकर बन्थरा बाजार से कटिबगिया की ओर जा रहा था कि ड्रीम वर्ल्ड पार्क के पास अचानक ट्रक संख्या यूपी 32 डीएन 4773 के चालक द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए वादी के रिश्तेदार अनिल राजपूत की टैम्पो में टक्कर मार दिया, जिससे वादी के रिश्तेदार अनिल राजपूत उपरोक्त जो कि टैम्पो चला रहे थे गंभीर रूप से घायल हो गये तथा टैम्पो में बैठे कुछ अन्य लोगों को भी चोटें आयीं व उक्त टैम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। वादी अपने रिश्तेदार अनिल राजपूत को गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लेकर गया, जहां डाक्टरों ने वादी के रिश्तेदार अनिल राजपूत उम्र करीब वर्ष को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना बन्थरा पर मु0अ0सं0 340/2022 धारा 279/338/427/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**